अनुदान संख्या 1 – कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
GRANT No. 1 - DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	134349,45,00	134544,49,00	108600,71,60	-25943,77,40
पूरक	Supplementary	195,04,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				23819,75,52
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	50,32,00	63,32,00	21,79,61	-41,52,39
पूरक	Supplementary	13,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,78,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचत (₹2594377.40 लाख) सितंबर, 2020 तथा फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹19504.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई तथा यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹2594377.40 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹19504.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and constituted 19 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	14712.00			
पु.	R.	-1170.58	13541.42	13181.01	-360.41
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"				
फसल कृषि कर्म	Crop Husbandry				
मू.	O.	8736107.00			
पू.	S.	18721.00			
पु.	R.	-604586.62	8150241.38	7967413.72	-182827.66
मुख्य शीर्ष "2416"	Major Head "2416"				
कृषि वित्तीय संस्थाएं	Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	1909822.00			
पु.	R.	-130850.00	1778972.00	1778971.90	-0.10
मुख्य शीर्ष "2425"	Major Head "2425"				
सहयोग	Co-operation				
मू.	O.	36550.00			
पु.	R.	1586.00	38136.00	37914.89	-221.11
मुख्य शीर्ष "2435"	Major Head "2435"				
अन्य कृषि कार्यक्रम	Other Agricultural Programmes				
मू.	O.	100135.00			
पु.	R.	-42956.61	57178.39	52962.30	-4216.09
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	1338098.00			
पू.	S.	781.00			
पु.	R.	-1338879.00	..	..	..

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3601”	Major Head “3601”				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1281772.00			
पु.	R.	-264905.65	1016866.35	995161.06	-21705.29
मुख्य शीर्ष “3602”	Major Head “3602”				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	14715.00			
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	56.94	14773.94	11841.16	-2932.78

(I) ₹1450849.00 लाख का प्रावधान (₹781.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) उनसठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1449236.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष “2401” –

(क) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(i) “राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को कल्याण स्कीमों के लिए दालों का वितरण” – ₹11952.00 लाख;

(ii) “एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन” – ₹28160.00 लाख;

(I) Provision of ₹1450849.00 lakhs (including supplementary grant of ₹781.00 lakhs) remained wholly unutilised under fifty nine heads; of these ₹1449236.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2401” -

(a) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(i) “Distribution of Pulses to State/Union Territories for Welfare Schemes” - ₹11952.00 lakhs;

(ii) “Implementation of MIS/PSS” - ₹28160.00 lakhs;

(iii) "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम–आशा)" – ₹2988.00 लाख;

(iv) "प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना" – ₹3287.00 लाख;

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को कल्याण स्कीमों के लिए दालों का वितरण" – ₹6192.00 लाख;

(ii) "एमआईएस / पीएसएस का कार्यान्वयन" – ₹14560.00 लाख;

(iii) "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम–आशा)" – ₹1548.00 लाख;

(iv) "प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना" – ₹1702.00 लाख; और

(ग) "अन्य व्यय – प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम–आशा)" – ₹13464.00 लाख।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "फसल कृषिकर्म – विस्तार और कृषिकों का प्रशिक्षण – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹6800.00 लाख;

(ख) "फसल कृषिकर्म – कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹3200.00 लाख;

(iii) "Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)" - ₹2988.00 lakhs;

(iv) "Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojna" - ₹3287.00 lakhs;

(b) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Distribution of Pulses to States/ Union Territories for Welfare Schemes" - ₹6192.00 lakhs;

(ii) "Implementation of MIS/PSS" - ₹14560.00 lakhs;

(iii) "Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)" - ₹1548.00 lakhs;

(iv) "Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojna" - ₹1702.00 lakhs; and

(c) "Other Expenditure - Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)" - ₹13464.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilized due to non-receipt of proposals.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Crop Husbandry-Extension and Farmers' Training - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - ₹6800.00 lakhs;

(b) "Crop Husbandry-Agricultural Economics and Statistics-Green Revolution-Krishonnati Yojna" - ₹3200.00 lakhs;

(ग) "फसल कृषिकर्म – बीज – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹2065.00 लाख;

(घ) "फसल कृषि कर्म – खाद और उर्वरक – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹11229.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ङ) "फसल कृषि कर्म – कृषि इंजीनियरी – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹3678.00 लाख (₹150.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(च) "फसल कृषि कर्म – वाणिज्यिक फसलें – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹9388.10 लाख (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(छ) "फसल कृषि कर्म – तिलहन का विकास – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹2692.00 लाख;

(ज) "फसल कृषि कर्म – बागबानी और सब्जी फसलें" –

(i) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर बूँद में अधिक फसलें (पीएमकेएसवाई)" – ₹20854.00 लाख;

(ii) "हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹14156.00 लाख;

(झ) "फसल कृषि कर्म – फसल बीमा – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (एनसीआईपी)" – ₹115464.00 लाख;

(ञ) "फसल कृषि कर्म – अन्य व्यय" –

(i) "हरित क्रांति – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹22684.00 लाख; और

(c) "Crop Husbandry - Seeds - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - ₹2065.00 lakhs;

(d) "Crop Husbandry - Manures and Fertilizers - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - ₹11229.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(e) "Crop Husbandry-Agriculture Engineering-Green Revolution - Krishonnati Yojna" - ₹3678.00 lakhs (including supplementary grant of ₹150.00 lakhs);

(f) "Crop Husbandry - Commercial Crops-Green Revolution - Krishonnati Yojna" - ₹9388.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.10 lakh);

(g) "Crop Husbandry - Development of Oilseeds - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - ₹2692.00 lakhs;

(h) "Crop Husbandry - Horticulture and Vegetable Crops" -

(i) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna - Per Drop More Crop (PMKSY)" - ₹20854.00 lakhs;

(ii) "Green Revolution - Krishonnati Yojna" - ₹14156.00 lakhs;

(i) "Crop Husbandry - Crop Insurance - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (NCIP)" - ₹115464.00 lakhs;

(j) "Crop Husbandry - Other Expenditure" -

(i) "Green Revolution - Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - ₹22684.00 lakhs; and

(ii) "कृषि अवसंरचना निधि" – ₹629.80 लाख का पूरक प्रावधान।

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम–आशा)" – ₹3728.00 लाख;

(iv) "राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की कल्याण स्कीमों के लिए दालों का वितरण" – ₹5984.00 लाख; और

(v) "एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन" – ₹12320.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ट) "सहकारिता – अन्य सहकारी संस्थाओं को सहायता – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹2992.00 लाख;

(ठ) "अन्य कृषि कार्यक्रम – विपणन सुविधाएं – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹3740.00 लाख;

(ड) "भारतीय रिजर्व बैंक – किसानों को अल्पकालीन ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी" – ₹141279.00 लाख; और

(ढ) "फसल कृषिकर्म – छोटे/सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों के लिए स्कीम" –

(ii) "Agriculture Infrastructure Fund" - supplementary provision of ₹629.80 lakhs.

Provisions under the above twelve heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iii) "Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)" - ₹3728.00 lakhs;

(iv) "Distribution of Pulses to State/Union Territories for Welfare Schemes" - ₹5984.00 lakhs; and

(v) "Implementation of MIS/PSS" - ₹12320.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to non-receipt of proposals.

(k) "Cooperation - Assistance to Other Cooperatives - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - ₹2992.00 lakhs;

(l) "Other Agricultural Programmes - Marketing Facilities - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - ₹3740.00 lakhs;

(m) "Reserve Bank of India - Interest Subsidy for Short Term Credit to Farmers" - ₹141279.00 lakhs; and

(n) "Crop Husbandry - Scheme of Small/Marginal Farmers and Agricultural Labour" -

(i) "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान)" – ₹557890.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना" – ₹1645.00 लाख प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(ण) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹17315.00 लाख;

(ii) "हरित क्रांति – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹6478.00 लाख;

(iii) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर बूँद में अधिक फसलें (पीएमकेएसवाई)" – ₹6308.00 लाख;

(iv) "भारतीय रिजर्व बैंक" – ₹42609.00 लाख;

(v) "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान)" – ₹125974.00 लाख; और

(vi) "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (एनसीआईपी)" – ₹26884.00 लाख।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग

(i) "Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)" - ₹557890.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(ii) "Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojna" - ₹1645.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(o) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Green Revolution - Krishonnati Yojna" - ₹17315.00 lakhs;

(ii) "Green Revolution - Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - ₹6478.00 lakhs;

(iii) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna - Per Drop More Crop (PMKSY)" - ₹6308.00 lakhs;

(iv) "Reserve Bank of India" - ₹42609.00 lakhs;

(v) "Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)" - ₹125974.00 lakhs; and

(vi) "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (NCIP)" - ₹26884.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on

कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(vii) "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम–आशा)" – ₹836.00 लाख;

(viii) "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कल्याण स्कीमों के लिए दालों का वितरण" – ₹1328.00 लाख; और

(ix) "एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन" – ₹5040.00 लाख;

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(त) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "हरित क्रांति – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹4838.00 लाख;

(ii) "हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹37784.30 लाख (₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iii) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर बूँद में अधिक फसल (पीएमकेएसवाई)" – ₹12838.00 लाख;

(iv) "भारतीय रिजर्व बैंक" – ₹23790.00 लाख;

(v) "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान)" – ₹65987.60 लाख (₹0.60 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(vi) "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (एनसीआईपी)" – ₹13927.00 लाख।

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(vii) "Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)" - ₹836.00 lakhs;

(viii) "Distribution of Pulses to States/Union Territories for Welfare Schemes" - ₹1328.00 lakhs; and

(ix) "Implementation of MIS/PSS" - ₹5040.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to non-receipt of proposals.

(p) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Green Revolution - Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - ₹4838.00 lakhs;

(ii) "Green Revolution - Krishonnati Yojna" - ₹37784.30 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.30 lakh);

(iii) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna - Per Drop More Crop (PMKSY)" - ₹12838.00 lakhs;

(iv) "Reserve Bank of India" - ₹23790.00 lakhs;

(v) "Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)" - ₹65987.60 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.60 lakh); and

(vi) "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (NCIP)" - ₹13927.00 lakhs.

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(vii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कल्याण स्कीमों के लिए दालों का वितरण" – ₹688.00 लाख; और

(viii) "एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन" – ₹2640.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान" –

(क) "विशेष सहायता – प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम – आशा)" – ₹20208.00 लाख;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री अन्नदाता आय – संरक्षण अभियान (पीएम–आशा)" – ₹4476.00 लाख; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री अन्न दाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा)" – ₹2316.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – हरित क्रांति – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹700.00 लाख प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण।

Provision under the above six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(vii) "Distribution of Pulses to States/Union Territories for Welfare Schemes" - ₹688.00 lakhs; and

(viii) "Implementation of MIS/PSS" - ₹2640.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of proposals.

(C) Major Head "3601" - "Other Transfer/ Grants to States" -

(a) "Special Assistance - Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)" - ₹20208.00 lakhs;

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)" - ₹4476.00 lakhs; and

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM AASHA)" - ₹2316.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to non-receipt of proposals from State Governments.

(D) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Green Revolution - Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - ₹700.00 lakhs - due to non-receipt of proposals and availability of unspent balances of previous year with Union Territory of Jammu & Kashmir.

(II) मुख्य शीर्ष "2401" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः–

(का) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – कृषि अवसंरचना निधि" – ₹3107.00 लाख की निधि पूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैया कराई गई थी, जो तथापि, ₹3085.05 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रही;

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – कृषि अवसंरचना निधि" – ₹1610.00 लाख की निधि पूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैया कराई गई थी, जो तथापि, ₹1609.31 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रही; और

(गा) "अन्य व्यय – कृषि अवसंरचना निधि" – ₹14003.00 लाख की निधि पूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैया कराई गई थी, जो तथापि, 11838.46 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रही।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीम के नया होने के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग" के अंतर्गत ₹1509.56 लाख की बचत (₹14370.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण होने, रिक्त पदों को न भरे जाने और प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2401" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "पौध सुरक्षा – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹2237.66 लाख की बचत (₹18799.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, रिक्त पदों को न भरे जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, कोविड–19 महामारी के कारण प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किए जाने, लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन पहले ही

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2401" - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each: -

(A) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Agriculture Infrastructure Fund" - funds of ₹3107.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant, which however, remained unutilised to the extent of ₹3085.05 lakhs;

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Agriculture Infrastructure Fund" - funds of ₹1610.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant, which however, remained unutilised to the extent of ₹1609.31 lakhs; and

(C) "Other Expenditure - Agriculture Infrastructure Fund" - funds of ₹14003.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant, which however, remained unutilised to the extent of ₹11838.46 lakhs.

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from the implementing agencies owing to scheme being new.

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare" - saving of ₹1509.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14370.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, non-filling up of vacant posts and non-finalisation of proposals.

(IV) Under Major Head "2401" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Plant Protection - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - saving of ₹2237.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18799.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, non-filling up of vacant posts, non-finalization of proposals, non-conduction of physical training programme owing to

पूरा किए जाने तथा कीटनाशकों की खरीद नहीं किए जाने के कारण हुई।

(खा) "वाणिज्यिक फसलें – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹3927.97 लाख की बचत (₹23648.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते – का स्थिरीकरण किए जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और कोविड–19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(गा) "विस्तार तथा कृषक प्रशिक्षण – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹6937.70 लाख की बचत (₹27618.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, रिक्त पदों को न भरे जाने, कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कोविड–19 महामारी के कारण कम प्रशिक्षण आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(घा) "कृषि इंजीनियरी" –

(क) "हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹1838.81 लाख की बचत (₹5809.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, रिक्त पदों को न भरे जाने तथा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "फसल अवशिष्ट के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन" – ₹2628.02 लाख की बचत (₹50040.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त न होने और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(ड.) "तिलहन का विकास – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹2595.45 लाख की बचत (₹12317.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(चा) "छोटे / सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों हेतु स्कीम" –

COVID-19 pandemic, early completion of Locust Control Operation and non-purchase of pesticides.

(B) "Commercial Crops - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - saving of ₹3927.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23648.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, non-finalization of proposals and less tour programmes undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(C) "Extension and Farmers' Training - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - saving of ₹6937.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27618.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, non-filling up of vacant posts, receipt of less proposals and conduction of less training owing to COVID-19 pandemic.

(D) "Agricultural Engineering" -

(a) "Green Revolution - Krishonnati Yojna" - saving of ₹1838.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5809.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, non-filling up of vacant posts and non-finalization of proposals.

(b) "Promotion of Agricultural Mechanization for in-situ Management of Crop Residue" - saving of ₹2628.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50040.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals and availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(E) "Development of Oil Seeds - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - saving of ₹2595.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12317.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals.

(F) "Scheme of Small/Marginal Farmers and Agricultural Labour" -

(क) "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान)" – ₹242370.73 लाख की बचत (₹5022495.00 लाख को स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त न होने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और कोविड–19 महामारी के कारण स्कीम के अंतर्गत कम किसान परिवारों का रजिस्ट्रेशन होने के कारण हुई।

(ख) "प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना" – ₹3811.00 लाख की बचत (₹14811.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस स्कीम में कम नामांकन होने के कारण हुई।

(छा) "बागबानी और सब्जी फसलें – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹19349.86 लाख की बचत (₹44301.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की धीमी गति होने तथा स्कीम के अंतर्गत कम मांग होने के कारण हुई।

(जा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹2480.47 लाख की बचत (₹12160.00 लाख के स्वीकृत की प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान)" – ₹393800.58 लाख की बचत (₹1133774.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से डेटा प्राप्त नहीं होने और कोविड–19 महामारी के कारण स्कीम में कम किसान परिवारों का रजिस्ट्रेशन होने के कारण हुई।

(झा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" – ₹14987.88 लाख की बचत (₹593880.00 लाख के स्वीकृत की प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण स्कीम में कम किसान परिवारों का रजिस्ट्रेशन होने के कारण हुई।

(a) "Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)" - saving of ₹242370.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5022495.00 lakhs) was due to non-receipt of data from States/UTs, non-finalization of proposals and less registration of farmers' families under the scheme owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojna" - saving of ₹3811.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14811.00 lakhs) was due to less enrollment under the scheme.

(G) "Horticulture and Vegetable Crops-Green Revolution-Krishonnati Yojna" - saving of ₹19349.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44301.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals, slow pace of work and less demand under the scheme owing to COVID-19 pandemic.

(H) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Green Revolution-Krishonnati Yojna" - saving of ₹2480.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12160.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(b) "Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)" - saving of ₹393800.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1133774.00 lakhs) was due to non-receipt of data from States/UTs and less registration of farmers' families under the scheme owing to COVID-19 pandemic.

(I) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)" - saving of ₹14987.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹593880.00 lakhs) was due to less registration of farmers families under the scheme owing to COVID-19 pandemic.

(टा) “अन्य व्यय” –

(क) “एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन” – ₹1489.22 लाख की बचत (₹137280.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कोविड–19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ख) “हरित क्रांति – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹8118.03 लाख की बचत (₹14000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने/प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने तथा कुछ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि–उद्यमिता कार्यक्रम की मॉनीटरी, मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “2416” – “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – भारतीय रिजर्व बैंक” के अंतर्गत ₹132580.00 लाख की बचत (₹312660.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(VI) मुख्य शीर्ष “2425” – “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – 1807.15 लाख की बचत (₹5976.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(VII) मुख्य शीर्ष “2435” – “विपणन और गुणता नियंत्रण” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) “विपणन सुविधाएं” –

(क) “हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹12930.62 लाख की बचत (₹40795.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वनयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा प्रस्तावों को अंतिम रूप

(J) “Other Expenditure” -

(a) “Implementation of MIS/PSS” - saving of ₹1489.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹137280.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(b) “Green Revolution - Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - saving of ₹8118.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals/non-finalization of proposals and requirement of less funds towards monitoring, evaluation and implementation of agri-entrepreneurship programme by some Union Territories.

(V) Under Major Head “2416” - “Special Component Plan for Scheduled Castes - Reserve Bank of India” - saving of ₹132580.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹312660.00 lakhs); and

(VI) Under Major Head “2425” - “Special Component Plan for Scheduled Castes - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - saving of ₹1807.15lakhs (against the sanctioned provision of ₹5976.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals.

(VII) Under Major Head “2435” - “Marketing and Quality Control” - savings occurred under the following heads :-

(A) “Marketing Facilities” -

(a) “Green Revolution - Krishonnati Yojna” - saving of ₹12930.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40795.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the

न दिए जाने और स्कीम मांगे आधारित और क्रेडिट से जुड़ी होने के कारण कोविड–19 महामारी होने की वजह से कम मांग होने के कारण हुई।

(ख) "कृषक उत्पादक संगठनों का गठन तथा प्रोत्साहन" – ₹25916.85 लाख की बचत (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से किसान उत्पादक संगठन गठित करने की प्रक्रिया पूरी न होने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिये जाने और स्कीम मांग आधारित तथा क्रेडिट से जुड़ी होने के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹6841.34 लाख की बचत (₹7470.00 लाख की स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹1483.89 लाख की बचत (₹1870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(VIII) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं।

(का) "केंद्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹61807.21 लाख की बचत (₹417277.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने, कार्यान्वयन राज्यों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की गति धीमी होने के कारण हुई।

implementing agencies, non-finalization of proposals and less demand owing to COVID-19 pandemic as scheme being demand driven and credit linked.

(b) "Formation and Promotion of Farmers Producers Organisations" - saving of ₹25916.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs) was due to non-completion of process of formation of Farmers Producer Organisation, non-finalisation of proposals and less demand owing to COVID-19 pandemic as scheme being demand driven and credit linked.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - saving of ₹6841.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7470.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - saving of ₹1483.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1870.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from implementing agencies.

(VIII) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads :-

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "Green Revolution - Krishonnati Yojna" - saving of ₹61807.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹417277.00lakhs) was due to receipt of less proposals, non-receipt of utilization certificates from implementing States and slow pace of work owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "हरित क्रांति – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹47070.35 लाख की बचत (₹240036.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने, कार्यान्वयन राज्यों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने, पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर बूँद में अधिक फसल (पीएमकेएसवाई)" – ₹93405.64 लाख की बचत (₹276904.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "अनूसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर बूंद में अधिक फसल (पीएमकेएसवाई)" – ₹20957.46 लाख की बचत (₹58589.00 लाख के स्वीकृत की प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की धीमी गति होने की वजह से हुई।

(ख) "हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹36316.21 लाख की बचत (₹106964.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने, कार्यान्वयन राज्य से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने और कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की गति धीमी होने की वजह से हुई।

(ग) "हरित क्रांति – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹13693.00 लाख की बचत (₹54662.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – हरित क्रांति – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹9893.50 लाख की बचत

(b) "Green Revolution-Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - saving of ₹47070.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹240036.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, non-receipt of utilization certificates from State Governments, availability of unspent balances of previous year and austerity measures.

(c) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna - Per Drop More Crop (PMKSY)" - saving of ₹93405.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹276904.00 lakhs); and

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna - Per Drop More Crop (PMKSY)" - saving of ₹20957.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹58589.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals and slow progress of work owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Green Revolution - Krishonnati Yojna" - saving of ₹36316.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹106964.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, non-reciept of utilization certificates from implementing states and slow pace of work owing to COVID-19 pandemic.

(c) "Green Revolution - Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - saving of ₹13693.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54662.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Green Revolution - Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - saving of ₹9893.50

(₹26202.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(IX) मुख्य शीर्ष "3602" – केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹1504.11 लाख की बचत (₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10375.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्व्यन एजेंसियों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने तथा कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की धीमी गति की वजह से हुई।

(X) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹408.44 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹35173.20 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत ₹782.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2401" –

(क) "खाद तथा उर्वरक – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹4783.39 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹4184.08 लाख था।

(ख) "कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹5119.74 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1518.97 लाख था।

(ग) "बागवानी तथा सब्जी फसलें – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर बूंद में अधिक फसल" – ₹1619.65 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1501.61 लाख था।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹26202.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals.

(IX) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - saving of ₹1504.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10375.40 lakhs including token supplementary grant of ₹0.40 lakh) was due to non-receipt of utilization certificates from the implementing agencies and slow pace of work owing to COVID-19 pandemic.

(X) Under one head saving of ₹408.44 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹35173.20 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹782.00 lakhs under the following major heads: -

(A) Major Head "2401" -

(a) "Manures and Fertilizers-Green Revolution-Krishonnati Yojna" - ₹4783.39 lakhs. Actual excess, however, was ₹4184.08 lakhs.

(b) "Agricultural Economics and Statistics - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - ₹5119.74 lakhs. Actual excess, however, was ₹1518.97 lakhs.

(c) "Horticulture and Vegetable Crops - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna - Per Drop More Crop (PMKSY)" - ₹1619.65 lakhs. Actual excess, however, was ₹1501.61 lakhs.

(घ) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹7672.94 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7643.82 लाख था।

(d) "Tribal Area Sub-Plan - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - ₹7672.94 lakhs. Actual excess, however, was ₹7643.82 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹15977.48 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹14461.33 लाख था।

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - ₹15977.48 lakhs. Actual excess, however, was ₹14461.33 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2401" –

(A) Major Head "2401" -

(क) "फसल बीमा – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" – ₹1577.48 लाख का अधिक व्यय (₹1056243.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(a) "Crop Insurance - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (NCIP)" - excess of ₹1577.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1056243.00 lakhs);

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" – ₹504.87 लाख का अधिक व्यय (₹233653.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (NCIP)" - excess of ₹504.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹233653.00 lakhs); and

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – ₹840.76 लाख का अधिक व्यय (₹123329.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (NCIP)" - excess of ₹840.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹123329.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(घ) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान" – ₹1361.95 लाख का अधिक व्यय (₹3256.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को और अधिक अंशदान दिए जाने के कारण हुआ।

(d) "International Co-operation - Contributions to International Organizations" - excess of ₹1361.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3256.00 lakhs) was due to more contribution to International Organizations.

(खा) मुख्य शीर्ष “2416” –

(क) “भारतीय रिजर्व बैंक – किसानों को अल्प अवधि क्रेडिट के लिए ब्याज सहायिकी” – ₹952.90 लाख का अधिक व्यय (₹1465197.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – भारतीय रिजर्व बैंक” – ₹777.00 लाख का अधिक व्यय (₹131965.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) मुख्य शीर्ष “2425” – “अन्य सहकारिताओं को सहायता – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना” – ₹2833.08 लाख का अधिक व्यय (₹27478.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर बूंद में अधिक फसल (पीएमकेएसवाई) – ₹9078.10 लाख का अधिक व्यय (₹21462.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹751.32 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹4152.39 लाख) सितंबर, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1300.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 66 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

(B) Major Head “2416” -

(a) “Reserve Bank of India - Interest Subsidies for Short Term Credit to Farmers” - excess of ₹952.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1465197.00 lakhs);

(b) “Tribal Area Sub-Plan - Reserve Bank of India” - excess of ₹777.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹131965.00 lakhs);

(C) Major Head “2425” - “Assistance to Other Cooperatives - Green Revolution - Krishonnati Yojna” - excess of ₹2833.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27478.00 lakhs); and

(D) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna - Per Drop More Crop (PMKSY)” - excess of ₹9078.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21462.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under two heads excess of ₹751.32 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent and 20 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹4152.39 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1300.00 lakhs obtained in September, 2020 and constituted 66 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4401" फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4401" Capital Outlay on Crop Husbandry				
मू.	O.	4932.00			
पू.	S.	1300.00	5754.00	2179.61	-3574.39
पु.	R.	-478.00			

(I) ₹200.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹200.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) "पौध संरक्षण – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" – ₹500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1300.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1800.00 लाख किया गया, जो, तथापि, ₹508.03 लाख की सीमा तक प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने तथा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्राधिकार के तहत निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Plant Protection - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - the original provision of ₹500.00 lakhs was augmented to ₹1800.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1300.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹508.03 lakhs - due to non-materialization of proposals and non-utilization of funds against authorisation of funds by implementing agency.

(III) "खाद तथा उर्वरक – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" के अंतर्गत ₹1359.00 लाख की बचत (₹1450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(III) Under "Manures and Fertilizers - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - saving of ₹1359.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1450.00 lakhs);

(IV) "कृषि इंजीनियरी – हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना" के अंतर्गत – ₹1734.63 लाख की बचत (₹2411.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(IV) Under "Agricultural Engineering - Green Revolution - Krishonnati Yojna" - saving of ₹1734.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2411.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का इस्तेमाल नहीं किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-materialization of proposals and non-utilization of funds by Central Public Works Department.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹350.73 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 74 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹350.73 lakhs occurred constituting 74 percent of the sanctioned provision.